संख्या-73/2026/1970/22-2-2025-17(193)/2024

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

*कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2* *लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी 2026*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील कुमार चौधरी पुत्र श्री सूर्यपाल चौधरी, निवासी जनपद-कौशाम्बी की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) के पत्र सं0-35825/प्रो(6)/256/(शिक्षक दिवस-2025), दिनांक 12.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील कुमार चौधरी पुत्र सूर्यपाल चौधरी, कदीराबाद, थाना-मंझनपुर, जनपद-कौशाम्बी है। बन्दी द्वारा कोचिंग संस्थान में सहपाठिनी रही मृतका अनामिका सिंह पर अक्सर छींटाकशी कर परेशान करता था। दिनांक 21-01-2008 को अनामिका सिंह स्टेशन पर अभियुक्त के साथ थी परन्तु अपने पिता के आवाज देने पर वापस जाने लगी जिसके कारण अभियुक्त अनामिका सिंह को तमंचे से गोली मार दी जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-651/2008 650/2008, भा0द0वि0 की धारा-302 व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-2, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.06.2012 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 04.08.2025 तक अपरिहार 16 वर्ष, 11 माह, 05 दिन एवं 20 वर्ष, 07 माह, 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। अतएव बन्दी द्वारा अनामिका सिंह नामक लड़की के साथ अक्सर छींटाकशी करने व उसकी तमंचे से गोली मारकर हत्या करने जैसा घृणित, जघन्य एवं सम्पूर्ण मानवता को शर्मशार करने वाला अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव बंदी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-5/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28 जुलाई 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक-27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुनील कुमार चौधरी पुत्र सूर्यपाल चौधरी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील कुमार चौधरी (बन्दी संख्या-258/12) पुत्र श्री सूर्यपाल चौधरी, निवासी जनपद-कौशाम्बी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-73/2026/1970(1)/22-2-2025 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।